कार्यालय वन वृत्त रीवा (म.प्र.)

जयंती कुन्ज वन विश्राम गृह के पास, सेन्ट्रल स्कूल मार्ग रीवा

Fax-241689, E-mail- ccf.rwa@mp.gov.in, Ph-242098

****

आदेश

रीवा / दिनांक 06-08-2021

क्रमांक / 210 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग के ज्ञापन कमांक 621 / 03 / नियम / चार, भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वनमण्डल अधिकारी रीवा के पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 5931 दिनांक 29.07.2021 से प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन ब्रम्हपुरी भूमिगत कोयला खदान में प्रभावित वनभूमि 150.098 हे. वनभूमि के बदले मे जिला रीवा वनमंडल रीवा ग्राम कोनी तहसील जवा की आराजी खसरा क्रमांक 518 / 2 रकवा 1.920 हे. ,518 / 4 रकबा 1.820 ,518 / 5 रकबा 2.023 हे. कुल रकबा 5.763 हे. में से 4.00 हे. में तैयार की गई क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना (वैकल्पिक वृक्षारोपण) की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

क0	योजना का नाम	परिक्षेत्र	कार्य का प्रकार	कार्य स्थल	प्रस्तावित क्षेत्रफल हे. में	तकनीकी स्वीकृति की राशि रूपये में
1	छिंदवाड़ा जिले में ब्रम्हपुरी भूमिगत कोयला खदान	अतरैला	क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना (वैकल्पिक वृक्षारोपण)	ग्राम कोनी तहसील जवा की आराजी खसरा क्रमांक 518 / 2,518 / 4,518 / 5	4.00 हे.	36,54,190 / –

शर्तें –

2– मुख्य वन संरक्षक(भू–सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक भू–सर्वेक्षण / बजट / दस / 1415 दिनांक 24.02.2004 में वैकल्पिक वृक्षारोपण की सफलता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. कमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के पालन में कम से कम जीवित पौधों का प्रतिशत 75 प्रतिशत होना अनिवार्य रहेगा। इसी तारतम्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस बिन्दु पर पुनः विचार करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये है:–

1– सभी वैकल्पिक वृक्षारोपणों में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. कमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नही होना चाहिये।

2– वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना गम्भीरता से बनाई जाये तथा तकनीकी तथा आर्थिक योजना का अंश इस प्रकार योजनाबद्व किये जाये कि जीवित पौधों का प्रतिशत कम से कम 75 प्रतिशत करने में सहायक सिद्व हो। जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई माह में कराई जावे।

3– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पौधों का जीवित प्रतिशत 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में उन वृक्षारोपणों को वैकल्पिक वृक्षारोपणों की श्रेणी में नही रखा जायेगा तथा असफलता के लिये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4– कार्य का कियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कार्य कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।

5– प्रोजेक्ट रिपोर्ट मे प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर में वृद्वि कर प्रावधान किया गया है फिर भी यदि दर में इससे अधिक की वृद्वि होती है तो अंतर की राशि संबंधित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।

(ए.के. सिंह भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

पृ0कमांक / मा0चि0 / 6120 रीवा, दिनांक 06-08-2021

प्रतिलिपि:– **वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा** की ओर आपके पत्र कमांक / मा.चि. / 5931 दिनांक 29.07.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)